कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

F 14 (Road) 2017/FCA/PCCF/ CCFEDS -II Jaipur dated 14-6-2019

Assistant Engineer, PWD Salumber के द्वारा उदयपुर जिले /वन मंडल उदयपुर (दक्षिण) के ग्राम मानपुर में BT ROAD FROM NAL TO DUNGRA UNDER PMGSY के निर्माण कार्य हेतु 1.63 है0 वन क्षैत्र के अनारक्षण के लिए ऑनलाईन प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/20390/2016 पर दिनांक 07.07.2017 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रस्ताव का परीक्षण किए जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत हैः–

A- **Compliance of EDS dated 15.2.2018 is awaited:**

1. बिन्दु संख्या 2 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में प्रस्तुत प्रस्तावित सडक में वन सीमा का सीमांकन कर दिया गया है किन्तु KML file का क्षैत्र (0.8090), (0.8195) आवेदित वन क्षैत्र के पॉलीगॉन (0.81), (0.8196) के अनुरूप नही है संशोधित KML file संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
2. बिन्दु संख्या 3 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में संलग्न की गई एरिया केलकुलेशन शीट अनुसार प्रस्तावित वन भूमि का क्षैत्रफल का योग 1.6296 है0 है जबकि 1.63 है0 अंकित किया गया है जिसे सही किया जाना प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 11 की पालना अपूर्ण। यूजर ऐजेन्सी द्वारा दो कास सेक्शन 6 मी0 एवं 6.5 मीटर संलग्न किया गया है जबकि प्रस्तावित सडक की चौडाई 6 मीटर रखी गई है। इसके अतिरिक्त इसी डिविजन के अन्य प्रस्ताव में संडक की चौडाई 7.5 मीटर रखी गई है तो इस प्रस्ताव में 6.0 मीटर चौडाई किस आधार पर रखी गई है। कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।
4. बिन्दु संख्या 12 की पालना के कम में जमाबंदी संलग्न कर दी गई है किन्तु राजस्व मेप पर अंकन कर मानचित्र संलग्न नही किया गया है।
5. बिन्दु संख्या 16 की पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में इको क्लास का संशोधन कर दिया गया है। किन्तु प्रसताव में कोई वृक्ष का आना अंकित नही है तो छत्र घनत्व 0.3 किस प्रकार हो सकता है संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
6. बिन्दु संख्या 18 की पालना के कम में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर दी गई है किन्तु वर्तमान श्रमिक दर के मॉडल (164100.00) के अनुरुप नही है।

मुख्य वन संरक्षक उदयपुर को सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR

कार्यालय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

कमांक पत्रा 5( )वसु /2019–20/मुवस/ 3840 दिनांकः– 19.6.19

प्रतिलिपिः–उप वन संरक्षक, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सन्दर्भित ईडीएस से चाही गयी सूचना/लगाये गये आक्षेपों की बिन्दुवार पूर्ति कर सूचना तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नरेश चन्द्र चतुर्वेदी)
उप वन संरक्षक,(प्रशासन)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।